(पीठासीन अधिकारी श्री आकत कुमार सिंह, आइ.ए.एस)

प्रकरण संख्या 178/2025 दायर दिनांक :–19.11.2025

जीसीएमएस नं. 2025/178 फैसल दिनांक :–03.12.2025

श्री दौलतसिंह पिता स्व. श्री धुलसिंह चौहान, निवासी–चुण्डावाडा तहसील–बिछीवाडा जिला डूंगरपुर	बनाम	जरिये राज्य सरकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 18, आयुध अधिनियम 1959

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, उपखण्ड अधिकारी, मजिस्ट्रेट, बिछीवाडा जिला डूंगरपुर के आदेश क्रमांक न्याय/2025/1018–19 दिनांक 07.10.2025 द्वारा प्रार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है। अपीलार्थी शस्त्र का लाइसेंस नं. 05/1983 है, तथा लाईसेंस धारक अपीलार्थी स्वयं है। अपीलार्थी ने वर्ष 2010 में अपना उक्त लाईसेंस नवीनीकृत करने हेतु कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर के समक्ष आवेदन कर दिया था तथा आवेदन के साथ अपना मूल लाईसेंस भी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर में प्रस्तुत कर दिया था। उक्त आवेदन के पश्चात् कई बार अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट के कार्यालय के चक्कर काटता रहा तथा अपना लाईसेंस नवीनीकृत करने हेतु निवेदन करता रहा लेकिन उसका लाईसेंस नवीनीकृत नही किया गया और हमेशा यही कहा जाता रहा कि तुम्हारा आवेदन प्रक्रिया में है, जल्द ही तुम्हारा लाइसेंस नवीनीकृत हो जायेगा । इस दौरान नवसृजित तहसील बिछीवाड़ा एवं नवसृजित उपखण्ड विछीवाड़ा हो जाने से अपीलार्थी का ग्राम चुण्डावाडा उपखण्ड क्षेत्र बिछीवाड़ा में स्थित हुआ, उसके पश्चात् सितम्बर 2015 में अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट के कार्यालय से एक नोटिस क्रमांक पत्रांक/आर्म्स/न्याय/15 दिनांक 01.09.2015 प्राप्त हुआ जो उसके लाइसेंस नवीनीकरण के संबंध में था इस पर दिनांक 16.09.2015 को अपीलार्थी पुनः रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में गया जहां संबंधित कार्मिक से मिला उक्त नोटिस के संबंध में पुछा तो उन्होने बताया कि तुम्हारा असल लाईसेंस कार्यालय में ही कही गुम हो गया है, बहुत ढूंढने के बाद भी नही मिल रहा है, इसलिये तुम नया आवेदन दे दो और मूल लाईसेंस गुम होने का शपथ पत्र दे दो, इस पर अपीलार्थी ने उक्त कार्मिक की बात पर विश्वास कर कोई अन्य कानूनी कार्यवाही नही की भल मनसाहत में दिनांक 16.09.2015 को रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में पुनः अपने लाईसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया, तथा अपना लाईसेंस गुम होने का शपथ पत्र भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी उक्त कार्मिक द्वारा यही कहा गया कि अब तुम्हारे लाईसेंस नवीनीकरण की कार्यवाही कर दी जायेगी, और तुम्हे अवगत करवा दिया जायेगा। अपीलार्थी राजकीय सेवा में होने से तथा पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त था तथा अपीलार्थी अपने लाईसेंस के नवीनीकरण के लिये रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में लगातार जाता रहा। अपीलार्थी पिछले वर्ष 2024 में माह नवम्बर में रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में गया था लेकिन तब भी यही कहा गया कि शीघ्र ही लाईसेंस नवीनीकृत हो जायेगा। माह सितम्बर 2025 में रेस्पोडेन्ट के कार्यालय से नोटिस क्रमांक न्याय/2025/618 अपीलार्थी को जारी किया गया। उक्त नोटिस जिस दिन अपीलार्थी के घर आया उस दिन अपीलार्थी घर पर नही था, उसकी पत्नी के ईलाज के लिये उदयपुर गया था। उक्त नोटिस अपीलार्थी को नही मिला तथा अपीलार्थी के पुत्रः रणजीत सिंह के हस्ताक्षर करा उक्त कांस्टेबल चला गया। उक्त कांस्टेबल ने मेरे पुत्र रणजीतसिंह को ना तो नोटिस की एक प्रति दी, ना ही कोई विस्तृत जानकारी दी, बस इतना कहा की एसडीओ कोर्ट में तुम चले जाना । जब मैं उदयपुर से वापस आया और उक्त बात मेरे पुत्र रणजीतसिंह ने मुझे बतायी तो मुझे भी समझ नही आया कि एस.डी.ओ. कोर्ट का क्या नोटिस मुझ पर आया फिर अपीलार्थी पुलिस थाना बिछीवाड़ा गया और वहां से कुछ दिनो बाद जानकारी मिली की अपीलार्थी की बंदुक का लाईसेंस नवीनीकरण के संबंध में नोटिस था तब दिनांक 09.10.2025 को अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में गया तथा

जिला कलक्टर

अपने लाईसेंस के बारे में पुछा तो रेस्पोडेन्ट के कार्यालय के संबंधित कार्मिक ने बताया कि दिनांक 07.10.2025 को रेस्पोडेन्ट उपखण्ड अधिकारी बिछीवाड़ा ने 50 लाइसेंस निरस्त कर दिये तथा शस्त्र जब्त करने के आदेश पारित किये है। उक्त आदेश के तहत् ही तुम्हारा लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। इस पर अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट से बात की तथा पूर्व की सारी घटना के बारे में उन्हें अवगत कराया तथा कहा की उसने लम्बे समय पूर्व लाईसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन कर रखा है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने कहा की मेरे द्वारा निर्णय पारित कर दिया तथा लाईसेंस निरस्त कर दिया है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार फरमाते तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिछीवाड़ा के आदेश क्रमांक न्याय/2025/1018–19 दिनांक 10.07.2025 को निरस्त कर रेस्पोडेन्ट को अपीलार्थी का लाइसेंस नवीनीकृत करने आदेश दिया जावे।

प्रकरण को न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जवाब देही नोटिस जारी कर प्रकरण से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में अपीलार्थी को नोटिस पत्रांक/202 दिनांक 05.05.2025 द्वारा एवं स्मरण नोटिस पत्रांक 618 दिनांक 22.05.2025 द्वारा धारा 17 आयुध अधिनियम 1959 नियम 24 आयुध नियम 2016 के अन्तर्गत शस्त्र नवीनीकरण संबंधी कार्यवाही कराने तथा समयावधि मे नवीनीकरण कराने पर एक पक्षीय निर्णय लिया जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्ती की कार्यवाही संपादित करने संबंधी नोटिस जारी किया गया, उक्त नोटिस जारी होने तथा पर्याप्त समय देने के बावजुद अपीलार्थी द्वारा कार्यालय मे उपस्थित हो नवीनीकरण संबंधी कार्यवाही नही करवाई गई । नियमानुसार अनुज्ञाधारी द्वारा आयुध नियम 2016 के नियम 24 के अन्तर्गत विहित समयावधि में नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है । अनुज्ञाधारी द्वारा नोटिस तामिल के उपरान्त नवीनीकरण नही कराने के कारण आर्म्स एक्ट 1959 के अध्याय 03 की धारा 17 के अंतर्गत अनुज्ञापत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित नहीं करने से अनुज्ञाधारी के नाम जारी शस्त्र (टोपीदार) अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने संबंधी आदेश जारी किए गए।

बहस समायत की गई। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपील में उल्लिखित तथ्यों को पुनः दोहराया गया तथा यह प्रतिवेदित किया गया कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट के कार्यालय के चक्कर लगाता रहा और अपना लाइसेंस नवीनीकरण कराने हेतु निवेदन करता रहा, किन्तु उसका लाइसेंस नवीनीकृत नही किया गया। अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश को निरस्त कर अपीलार्थी का लाइसेंस नवीनीकरण कराने का अनुरोध किया गया।

मेरे द्वारा बहस, पत्रावली तथां समस्त अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया कि अधिवक्ता द्वारा किए गए कथन के विपरीत रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलार्थी ने लाईसेंस नवीनीकरण हेतु संबंधित विभाग से समय–समय पर संपर्क किया हो अथवा इस संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत किया हो। इसके अतिरिक्त, रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी नोटिस की विधिवत प्राप्ति होने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया। नोटिस का उत्तर न देने तथा नवीनीकरण संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश विधि–सम्मत प्रतीत होता है। इन समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरे मत में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य नही है। अतः प्रस्तुत अपील अस्वीकृत/निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)